

14.6.18

पुत्रावाला का कार्ड केस में निकाला ५२

पुत्रा, पेशाला अलगा से लिखक ला ५५

शाहील पुत्रावाला विद्या गीता

पुत्रावाला पेशाला सुगा ५२

नाम से काम है



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला-भीलवाडा
न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प ओज्याडा

पीठसीन अधिकारी:-रामावतार बरनाला (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या:- 55 / 17

- 1.रतनलाल आत्मज श्री देबी जी अहीर निवासी औज्याडा
- 2.श्रीमति काली पुत्री श्री देबी जी अहीर निवासी औज्याडा
- 3.श्रीमति देउ बाई पत्नि श्री देबी जी अहीर निवासी औज्याडा

—प्रार्थीगण

बनाम

- 1.मांगीलाल आत्मज सोलाजी अहीर निवासी ओज्याडा
- 2.रामेश्वर आत्मज सोलाजी अहीर निवासी ओज्याडा
- 3.कन्हैयालाल आत्मज सोलाजी अहीर निवासी ओज्याडा
- 4.मदन आत्मज सोलाजी अहीर निवासी ओज्याडा
- 5.मु0 गट्टू पत्नी श्री सोलाजी अहीर निवासी ओज्याडा
- 6.घनश्याम आत्मज श्री उद्देराम जी अहीर निवासी ओज्याडा
- 7.सीताराम आत्मज श्री उद्देराम जी अहीर निवासी ओज्याडा
- 8.गोटू आत्मज श्री उद्देराम जी अहीर निवासी ओज्याडा
9. गोपी आत्मज श्री उदा जी अहीर निवासी ओज्याडा
- 10.धूला आत्मज श्री उदा जी अहीर निवासी ओज्याडा
- 11.गोविन्द आत्मज श्री सोहनलाल जी नानोचा निवासी बरडोद
- 12.विनोद आत्मज श्री सोहनलाल जी नानोचा निवासी बरडोद
- 13.श्रीमति रतनी पुत्री श्री प्रताप जी अहीर निवासी ओज्याडा
- 14.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक:- 14/06/2018

:: निर्णय ::

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कैम्प ओज्याडा पर पेश प्रार्थी की किया है कि पटवार हल्का ओज्याडा भू अभिलेख निरीक्षक हमीरगढ तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 1035, 1036, 1034, कुल किता 3 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19/07/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिंधदान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का ओज्याडा भू अभिलेख निरीक्षक हमीरगढ की आराजी नम्बर 1035, 1036, 1034, कुल किता 3 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक हमीरगढ को 500/-रु0 (अक्षरे- पाँच सौ रुपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को

बनाम

1. मांगीलाल आत्मज सोलाजी अहीर निवासी ओज्याडा
2. रामेश्वर आत्मज सोलाजी अहीर निवासी ओज्याडा
3. कन्हैयालाल आत्मज सोलाजी अहीर निवासी ओज्याडा
4. मदन आत्मज सोलाजी अहीर निवासी ओज्याडा
5. मु० गट्टू पत्नी श्री सोलाजी अहीर निवासी ओज्याडा
6. घनश्याम आत्मज श्री उद्देराम जी अहीर निवासी ओज्याडा
7. सीताराम आत्मज श्री उद्देराम जी अहीर निवासी ओज्याडा
8. गोटू आत्मज श्री उद्देराम जी अहीर निवासी ओज्याडा
9. गोपी आत्मज श्री उदा जी अहीर निवासी ओज्याडा
10. धूला आत्मज श्री उदा जी अहीर निवासी ओज्याडा
11. गोविन्द आत्मज श्री सोहनलाल जी नानोचा निवासी बरडोद
12. विनोद आत्मज श्री सोहनलाल जी नानोचा निवासी बरडोद
13. श्रीमति रतनी पुत्री श्री प्रताप जी अहीर निवासी ओज्याडा
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:- 14/06/2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कैम्प ओज्याडा पर पेश प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज० भू० राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पटवार हल्का ओज्याडा भू अभिलेख निरीक्षक हमीरगढ तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 1035, 1036, 1034, कुल किता 3 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19/07/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिध्दान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का ओज्याडा भू अभिलेख निरीक्षक हमीरगढ की आराजी नम्बर 1035, 1036, 1034, कुल किता 3 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक हमीरगढ को 500/-रु० (अक्षरे- पाँच सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को

कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ़

प्रतिलिपि:— तहसीलदार, हमीरगढ़ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ़